नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

5

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

प्रकरण सं.03 / 2017

अनवानः—

हरकौर पत्नी मघरसिंह जाति बावरी सा0 वार्ड नं0 8 साबूआना तह0 टिब्बी।

प्रार्थी

बनाम

1 ग्राम पंचायत साबूआना जरिये सरपंच साबूआना ।
2 विकास अधिकारी पंचायत समिति टिब्बी।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध अंतिम नोटिस क्रमांक 40—41 दिनांक 8.3.17

उपस्थितः—
1 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2 श्री लाल चंद वर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं.1

—:निर्णयः—

दिनांकः—30.01.2018

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया को दिनांक 8.3.17 को नोटिस जारी कर प्रार्थीया के मकान को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी हैः—

1 यह कि निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत प्लाट को दिनांक 11.12.14स को मिठूसिह से सप्रतिफल खरीद किया । प्रार्थीया का गली पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच पड़ताल किये अंतिम नोटिसा जारी किया गया है।

2 यह कि प्रश्नगत प्लाट का पटआ मिसल नं0 63 जारीशुद्धा है जो विक्रेता के हक हकूक का है जिसे विक्रेता को पूर्ण अधिकार विक्रय करने का है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड़ आवासीय मकान निर्मित सहित क्रय किया था ।

3 यह कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध जारी नोटिस में मनगढंत तथ्य वर्णित किये हैं कि प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में मा. न्यायालय का स्थगत खारिज हो गया है जो बिलकुल गलत व निराधार है।मा0 न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्लाट के मालिकाना अधिकार को किसी भी आधार से खारिज नहीं किया है।

4 यह कि अप्रार्थी पंचायत द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के मददेनजर नोटिस जारी किया है। जबकि प्रार्थीया के पास अप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत के भाई

लगती है। किन्तु प्रार्थीया को तंग परेशान करकने के आश्य से प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड में से जबरन गली निकालने के आश्य से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। 5 यह कि प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड का विधिवत प्रकिया अपनाकर पटटा शुद्धा है जिसमें किसी प्रकार का आम रास्ता स्वीकार नहीं है किन्तु अप्रार्थी द्वारा जबरन गली निकालने पर आमादा है।

निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थीया के विरूद्ध जारी नोटिस दिांक 8.3.17 को खारिज करने का निवेदन किया गया ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान की तलबी जारी की गयी। अप्रार्थी सं. 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। प्रश्नगत भूखण्ड के रिकार्ड के सबंध में अप्रार्थी सं. 1 के सचिव द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में साबूआना ग्राम पंचायत गुडिया के अर्न्तगत आता था उस समय ग्रा0पं0गुडिया से पटटे जारी किये गये हैं।पटटों की मिसलव आबादी भूमि विक्रय रजि0, कार्यवाही रजिस्टर खसरा रजिस्टर आदि ग्रा0पं0 गुडिया में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत गुडिया का पत्र दिनांक 28.5.17 भी प्रस्तुत किया ।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत अंतिम नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। चूंकि प्रार्थीया का खरीद शुद्धा प्लाट है जिसमें किसी प्रकार की गली आम नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक द्वेषता के कारण प्रार्थीया के मकान को अतिक्रमण मानकर तुड़वाना चाहता हैं इसलिए प्रार्थीया के विरूद्ध जारी अंतिम नोटिस खारिज किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रार्थीया ने कथित रूप से मिठू सिंह से दिनांक 11.12.14 को जिस भूखण्ड को क्रय करने का कथन किया है वह भूखण्ड गली आम है। वस्तुतः प्यारा सिंह के पक्ष में जारी पटटा नं0 63 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार पूर्वी तरफ गली आम थी। परन्तु पटटा की फोटो प्रति पर मिठू सिंह ने फर्जकारी कर पटटा में गली दर्शा दी तथा गली पर कब्जा करने का प्रयास किया । ग्राम पंचायत ने दिसम्बर 2014 में इस अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया । इस अतिक्रमण की कार्यवाही में बाधा पैदा करने के लिए मिठू सिंह ने अपनी सास हरकौर के पक्ष में गली आम के भूखण्ड का इकरारनामा लिख दिया। इस इकरारनामा के आधार पर हरकौर ने न्यायालय सिविल न्यायधीश टिब्बी में वाद पत्र प्रस्तुत किया । हरकौर का उक्त वाद 4.3.17 को खारिज फरमाया जा चुका है। वाद खारिज होने के बाद अप्रार्थी सं. 1 ने नोटिस जारी किया । मौका पर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उपखण्ड मजि0 टिब्बी द्वारा पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध कराने

(1)

का आदेश पारित किया । प्रार्थीया के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस के दौरान ही अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त करन का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसका उसी रोज अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत साबूआना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी अन्तिम नोटिस दिनांक 8.3.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड गली पर अवस्थित है या नहीं इस संबध में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 20.4.17 से अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित किया गया था कि प्रश्नगत पटटा से सबधित मूल आवंटन पत्रावली व आबादी भूमि का नक्शा प्रस्तुत करें ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्नगत प्लाट गली आम में है और उस पर प्रार्थीया द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। बिना रिकार्ड के यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत गली आम में अतिक्रमण कर रखा है। परन्तु न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रश्नगत भूखण्ड से संबंधित रिकार्ड, नक्शा व दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही अन्तिम निर्णय लिया जावे।

अतः प्रार्थीया का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया को जारी अन्तिम नोटिस क्रमांक 40–41 दिनांक 08.3.17 खारिज किया जाता है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचयत साबूआना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड से संबंधित पूर्ण रिकार्ड, नक्शा प्राप्त कर व प्रार्थीया की साक्ष्य/सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत साबूआना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official